03-7-25

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद सं0–06/2025

प्रसंग :– हरिलाल दास बनाम राधा देवी

आदेश -3-

उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक–507/विधि, दिनांक–30.04.2025 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित प्रस्तुत वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक–श्री हरिलाल दास, पिता–स्व रामधारी दास, ग्राम–बरवाडीह, पोस्ट–महुगाई, थाना–मरकच्चो, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(i)(b) के तहत मौजा–बरवाडीह, थाना नं0–181, खाता नं0–02, प्लॉट सं0–624, रकवा–03डी0 प्लॉट सं0–625, रकवा–3.5डी एवं खाता सं0–28, प्लॉट सं0–615, रकवा–04 डी0 कुल रकवा–10.5 डी0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति की मांग किया गया है।

तत् आलोक में अंचल अधिकारी, मरकच्चो से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुना गया।

आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता द्वारा अपना–अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता जाति के चमार है तथा क्रेता भी जाति के चमार हैं, दोनो एक ही वर्ग अनुसुचित जाति अन्तर्गत आते है। विक्रेता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि बिक्री की जा रही है, विक्रेता एवं क्रेता भूमि खरीद–बिक्री हेतु सहमत है।

अंचल अधिकारी, मरकच्चो का पत्रांक–380, दिनांक–21.06.2025 द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बरवाडीह, थाना नं0–181, खाता नं0–02, प्लॉट सं0–624, रकवा–03डी0 प्लॉट सं0–625, रकवा–3.5 डी एवं खाता सं0–28, प्लॉट सं0–615, रकवा–04 डी0 कुल रकवा–10.5 डी0 रैयती भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहिन के श्रेणी में नहीं आते है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही वर्ग (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत आते है तथा दोनो एक ही थाना/प्रखण्ड के निवासी है। अंचल अधिकारी, मरकच्चों द्वारा भूमि बिक्री हेतु अनुमति दी जा सकती है, का मन्तव्य दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, मरकच्चो के प्रतिवेदन एवं मन्तव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत प्रश्नगत मौजा–बरवाडीह, थाना नं0–181, खाता नं0–02, प्लॉट सं0–624, रकवा–03डी0 प्लॉट सं0–625, रकवा–3.5 डी एवं खाता सं0–28, प्लॉट सं0–615, रकवा–04 डी0 कुल रकवा–10.5 डी0 भूमि श्रीमती राधा देवी, पति–हरिलाल दास, साकिन–बरवाडीह, पोस्ट–महुगाई, थाना–मरकच्चो, जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 से अच्छादित रहेगा। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2025.11.07 17:54:11 +05:30
Location: 192.168.29.40